राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 25/2018

जेर मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके ग्राम नालपुर जरिये पुजारी/सेवक पूर्णमल पुत्र बनवारीलाल शर्मा निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... प्रार्थी

ब–ना–म

1. श्रीमती फूलवती पत्नी दाताराम जाति ब्राहमण निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजेन्द्र पुत्र मोहर सिंह
3. सज्जन सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह :– प्रार्थी की ओर से
2. श्री गिरधारी लाल सैनी :– अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 01–09–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 102 के खसरा नंबर 249 रकबा 0.38 है. का खातेदार काश्तकार है। ठिकाना खेतड़ी ने मन्दिरों की सेवा, पूजा व पुजारियों की आय के लिये मंदिरो के लिये काश्त की भूमि मूर्ति के नाम देकर उनकी स्थाई व्यवस्था कर रखी है उसी के तहत प्रार्थी को उक्त भूमि मिली हुई है एवं मूर्ति मंदिर एक शाश्वत नाबालिग है जिसकी सम्पति की एक मात्र मालिक मूर्ति होती है जिसमें किसी को न तो कोई अधिकार प्राप्मत होते हैं तथा न ही उसका कोई विक्रय आदि कर सकता है। प्रार्थी के सेवक/पुजारी ने प्रार्थी की उक्त भूमि को बंटाई पर काश्त करने के लिये कई साल से अप्रार्थी सं. 1 को दे रखी थी। अप्रार्थी सं. 1 समय–समय पर प्रार्थी को बंटाई का हिस्सा देते आ रहे थे। अब अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रार्थी के सेवक/पुजारी को भूमि काश्त करने में रूकावट व दखल करने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण अवैध रूप से अतिक्रमण कर फसल काश्त [illegible] प्रार्थी के सेवक/पुजारी को किसी प्रकार की रूकावट व बाधा पैदा करते हैं [illegible] भारी आर्थिक मानसिक क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और न ही उसकी पूर्ति किया जाना संभव है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 14:40:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी की वाके ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 102 के खसरा नंबर 249 रकबा 0.38 है के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल व हस्तक्षेप नहीं करें और प्रार्थी के सेवक/पुजारी को काश्त करने व फसल को लाटने बाटने में किसी प्रकार की रूकावट/बाधा न करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें तथा न ही अन्य से करवाये तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी पूर्णमल का मंदिर की भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है और ना ही प्रार्थी पूर्णमल मंदिर का पुजरी है और ना ही प्रार्थी पूर्णमल को ठिकाना खेतड़ी/राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा भूमि मिली। भूमि मंदिर मूर्ति रघुनाथजी की है जिसको काश्त के लिए पुजारी रामभरोसे द्वारा व्यवस्था की जाती है। भूमि मंदिर की खातेदारी की है और मंदिर की ही खातेदारी की रहेगी। बिना देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाये तथाकथित वाद चलने योग्य नहीं है और वाद प्रार्थी पूर्णमल आदेश 1 नियम 9 व 10 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि जमीन मंदिर की है, अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। मंदिर की जमीन नहीं बेच सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी का दावा आधारहीन है, खाता सं. 102 मंदिर के नाम दर्ज है इसमें 50 खसरा नंबर है तथा रकबा 17.99 है है। इस भूमि पर कई जातियों के लोग काश्त करते हैं। पुजारी खुद कब्जाधारी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। देवस्थान विभाग पार्टी नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि जेर मंदिर श्री रघुनाथजी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा मंदिर मूर्ति नाबालिग है उसकी भूमि पर पुजारी का भी कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है एवं मंदिर की भूमि पर यदि कोई दुसरा व्यक्ति कब्जा बनाये रखता है या नाजायज रूप से गलत रिकार्ड की आड में मंदिर की भूमि व उसकी फसल को काटने लाटने में व्यवधान पैदा करता है, कब्जा करता है तो असुविधा सदैव नाबालिग मंदिर मूर्ति को ही होगी। कोई भी व्यक्ति यदि मंदिर की भूमि को अपने लाभ के लिए काश्त करेगा या उस पर अतिक्रमण करेगा व मंदिर की भूमि को स्वयं खातेदारी की होना क्लेम करेगा तो निश्चित रूप से क्षति मंदिर को होगी। इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी मंदिर के पक्ष में है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 14:20:33 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner